CHAPTER – XV
ANTI-PROFITEERING

Rule 122 : [1][****]

---

1 Rule 122 omitted by Noti. No. 24/2022–Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022. Earlier it was read as under:

"**Rule 122 : Constitution of the Authority**

The Authority shall consist of,-

(a) a Chairman who holds or has held a post equivalent in rank to a Secretary to the Government of India; and

(b) four Technical Members who are or have been Commissioners of State tax or central tax [A][for at least one year] or have held an equivalent post under the existing law,

to be nominated by the Council."

A Earlier inserted by Noti. No. 34/2017, dt. 15-09-2017.

अध्याय 15
मुनाफाखोरी–रोधी

नियम 122 : [1][……]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 122 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था

"**नियम 122 : प्राधिकरण का गठन**

प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो; और

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त [A]**[**कम से कम एक वर्ष के लिए**]** है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो।"

A पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 34/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अंतःस्थापित।